न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : 88 आर.टी.ए.

नम्बर मुकदमा – 625/2025

पुष्पेन्द्र सिह पुत्र देवेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1 मिषिका पुत्री देवेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1

निर्णय

दिनांक 18/3/2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति स. 1 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।प्रति स. 1 वादी की बहिन है। चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 3/2 खाता अनमोल ज. स. 2073–76 व चक 11 बी.जी.पी. खाता स. 81/7 खाता अनमोल वगैरा ज. स. 2071–74 में वादी व प्रति स. 1 के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त आराजी हमारी जद्दी जायदाद है। प्रति स. 1 मिषिका पुत्री देवेन्द्र सिह ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है।अतः प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। इसी कदर की डिक्री वादी प्राप्त करना चाहता है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 3 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः चक 13 बी. जी.पी. खाता स. 3/2 खाता अनमोल ज.स. 2073–76 व चक 11 बी.जी.पी. खाता स. 81/7 खाता अनमोल वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 मिषिका पुत्री देवेन्द्र सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज किया जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी के नाम दर्ज किया जाकर उक्त चको के उक्त खातों से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद– पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रति स. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 2 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में पुष्पेन्द्र सिह की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया।जो शामिल मिसल है।अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 3/2 खाता अनमोल ज.स. 2073–76 व चक 11 बी.जी.पी. खाता स. 81/7 खाता अनमोल वगैरा ज. स. 2071–74 में प्रति स. 1 मिषिका पुत्री देवेन्द्र सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज किया जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी के नाम दर्ज किया जाकर उक्त चको के उक्त खातों से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।अधि।वक्ता प्रतिवादी स. 1 द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया।चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 3/2 खाता अनमोल ज.स. 2073–76 व चक 11 बी.जी.पी. खाता स. 81/7 खाता अनमोल वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 मिषिका पुत्री देवेन्द्र सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज किया जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी के नाम दर्ज किया जाकर उक्त चको के उक्त खातों से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 13 बी. जी.पी. खाता स. 3/2 खाता अनमोल ज.स. 2073–76 व चक 11 बी.जी.पी. खाता स. 81/7 खाता अनमोल वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 मिषिका पुत्री देवेन्द्र सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज किया जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी के नाम दर्ज किया जाकर उक्त चको के उक्त खातों से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया